न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 81/11
निर्णय दिनांक: 08.05.2018

ग्राम पंचायत त्योद तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0 जरिये–

1. संरपच ग्राम पंचायत त्योद
2. सचिव ग्राम पंचायत त्योद तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र मांग्या– फौत के बजाय कायम मुकामान
   1/1 सुप्यार पत्नि स्व0 गोपाल
   1/2 मुकेश पुत्र स्व0 गोपाल
   1/3 लालू पुत्र स्व0 गोपाल
   1/4 सोनू पुत्र स्व0 गोपाल
   1/5 कमला पुत्री स्व0 गोपाल
   1/6 सरजू पुत्री स्व0 गोपाल
   1/7 प्रेम पुत्री स्व0 गोपाल
   समस्त जाति बावरिया नि0 त्योदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
2. छोटू पुत्र केसा जाति बावरिया नि0 त्योदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक व्यादेश

निर्णय

संक्षेप में वाक़यात इस प्रकार से हैं कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य तथा खातेदारी की आराजी खं0नं0 323 रकबा 8 बीघा 8 विस्वा व खं0नं0 420 रकबा 3 बीघा 5 विस्वा किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 13 विस्वा वाकै ग्राम त्योदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेखों ग्राम पंचायत त्योद के नाम खातेदारी दर्ज है तथा वादी सरंपच व सचिव ग्राम पंचायत त्योद के प्रतिनिधि है जिनको ग्राम पंचायत के हितार्थ व लाभार्थ वाद प्रस्तुत करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार है। प्रतिवादीगण का वादी पंचायत की भूमि से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है तथा ना ही उक्त आराजी प्रतिवादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की रही है जबकि राजस्व अभिलेखों में उक्त आराजी वादी पंचायत के नाम खातेदारी में दर्ज है जिसकी पंचायत पूर्ण वैधानिक स्वामित्वधारी व खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जिनकी नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है तथा ग्राम पंचायत की उक्त आराजी अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने पर उतारू है तथा निर्माण सामग्री डालकर युद्वस्तर पर

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

निर्माण कार्य करने पर उतारू है इसी आशय से प्रतिवादीगण ने दिनांक 04.07.11 को वादी पंचायत की आराजी खं0नं0 323 रकबा 8 बीघा 8 विस्वा में अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर निर्माण चालू कर दिया जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत को होने पर ग्राम पंचायत ने दिनांक 05.07.11 को पंचायत की बैठक में प्रस्ताव सं0 4 सर्व सम्मति से पारित कर उक्त निर्माण कार्य रोकने हेतु पारित किया। प्रतिवादीगण को वादी पंचायत ने उक्त प्रस्ताव के द्वारा निर्माण रोकने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने वादी पंचायत को व उसके प्रतिनिधियों को उनके निर्माण में बाधा डालने पर उनके विरूद्व अनुसूचित जाति के झूठे केस में फसानें की धमकिया देने लग गये जिस पर वादी पंचायत के प्रतिनिधियों ने प्रशासनिक स्तर पर उक्त निर्माण कार्य की शिकायत प्रस्तुत की पुलिस थाना सांभर में भी प्रा0पत्र प्रस्तुत कर निर्माण कार्य रूकवानें का निवेदन किया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं होने से यह वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक व्यादेश विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की तरफ से वकील श्री मोहम्मद अयूब कुरेशी ने वकालतनामा पेश किया। वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु हो जाने पर प्रा0पत्र आर्डर 22 रूल 4 जा0दी0 का पेश किया। उक्त प्रा0पत्र का जवाब प्रतिवादी द्वारा पेश न करने पर प्रा0पत्र आर्डर 22 रूल 4 जा0दी0 का स्वीकार किया गया तथा संशोधित शीर्षक पेश किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र त्योद में पेश हुयी। वकील वादी व प्रतिवादी सं0 2 छोटू उपस्थित हुए। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 फोलोअप केम्प सांभरलेक में पेश हुयी। वकील वादी को लोक अदालत की भावना से सुना गया।

वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2065–68 वाकै ग्राम त्योदा व प्रमाणित प्रति नक्शा ट्रेस पेश की है।

वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय का डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि अवादी के स्वामित्व व खातेदारी की आराजी खं0नं0 323 रकबा 8 बीघा 8 विस्वा व खं0नं0 420 रकबा 3 बीघा 5 विस्वा किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 13 विस्वा वाकै ग्राम त्योदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में जबरन कब्जा कर अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे, न

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

ही वादी के उपयोग व उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करे। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 08.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत फोलोअप केम्प सांभरलेक मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

ग्राम पंचायत त्योद बनाम गोपाल वगै0

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक व्यादेश

मुकदमा नंबर 81/11

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री शिवराजसिंह राठौड़ व हाजरी श्री मोहम्मद अयूब कुरेशी मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय का डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि अवादी के स्वामित्व व खातेदारी की आराजी खं0नं0 323 रकबा 8 बीघा 8 विस्वा व खं0नं0 420 रकबा 3 बीघा 5 विस्वा किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 13 विस्वा वाकै ग्राम त्योदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में जबरन कब्जा कर अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे, न ही वादी के उपयोग व उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करे। ....निज .... मुबलिग.. बाबत्.................................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...............................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 05 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत.........
उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

मुहर
ओहदा

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner